प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 932 सन 2021
अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन ढाणीलालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
2. माया पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
3. मुकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
4. लोकेश पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
5. कान्ता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
6. सिलोचना पत्नी देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
7. कार्तिक पुत्र देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
8. रितिक कुमार पुत्र देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
9. सुहानी पुत्री देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 11/46 की कुल 10.4840हैक्ट में से 78663/104840 हिस्सा व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक्ट में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा भगवान के खाता संख्या 164/156 की कुल 17.5280हैक्ट में से 3161/43820हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा खिशजराम वल्द रूधाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा खिशजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा खिशजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये. इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता खिशजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी

संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक्‍ एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि खिराजराम वल्द रूधाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा खिराजराम वल्द रूधाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है। जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 116 की कुल 10.4840हैक में से 48663/104840 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.1383 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है के वादी का 0.683हैक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 0.4553हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मोज भगवान की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .देईदास

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. वेदप्रकाश पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट साकिन ढाणीलालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 श्रवण कुमार पुत्र खिराज जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
2. माया पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
3. मुकेश कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
4. लोकेश पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
5. कान्ता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
6. सिलोचना पत्नी देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
7. कार्तिक पुत्र देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
8. रितिक कुमार पुत्र देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
9. सुहानी पुत्री देवतराम जाति जाट साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहरं।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 932 सन 2021 निर्णय दिनांक– 26.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 11/46 की कुल 10.4840हैक्ट में से 48663/104840 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 बहिब 1/3 हिस्सा के एवं रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 126/126 की कुल 3.4150हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा यानि 1.1383 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है के वादी का 0.683हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 0.4553हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रेाही मोज भगवान की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी । है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....देईदास